BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI

Appeal No. 13/2023

IN THE MATTER OF:

Indo Tech Waste Solution ...Appellant

Versus

Uttar Pradesh State Environment Impact Assessment Authority (UP SEIAA) & Ors. ...Respondent(s)

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT 4 - UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Dr. Jai Pal Singh aged about 59 years S/o Late Shri Bholi Singh, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Aligarh do hereby solemnly affirm and state of oath as under;

1. That the deponent is Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Aligarh and on behalf of Respondent No.-4 and is well conversant with the facts and circumstances of the case and authorized to swear this affidavit.
2. That I have read the Appeal and have understood the same fully.
3. That the public hearing was conducted by the local administration at the site on 06.06.2022 and the video recording along with the minutes of the public hearing was sent to the Director Environment Department, Lucknow vide Boards letter no. H78520/C-4/NOC(Lok Sunwai)/229/2022 dt. 15.07.2022.

4. That the complaint from Gram Pradhan, Gram Panchayat Pachlana was received along with the letter dt. 10.08.2022 from Ministry of Environment, Forest & Climate Change Department the same was also forwarded to Director Environment Department, Lucknow vide Board letter dt. 16.08.2022. The copy of the letter is attached as annexure no.-1 of this reply.
5. That M/s Indo Tech Waste Solutions, at Khasra no-1161, Village- Kumroua, Block-Saron Tehsil & District Kasganj, Uttar Pradesh has filed an online application for Consent to Establish under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. The site was visited by the officials of Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Aligarh on 23.12.2022. During inspection it was found that another CBWTFs plant named M/s Punah Chakran Pvt. Ltd., Plot no. E-25, 26, Industrial area, Tehsil Babrala District Sambhal is situated at a distance of approx. 40 Km. so the site is not confirming to the Revised Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facilities published by CPCB. The copy of the Guideline is available at the CPCB site.
6. That since no Environmental Clearance was issued by the SEIAA hence the CTE application filed by M/s Indo Tech Waste Solutions, at Khasra no-1161, Village- Kumroua, Block-Saron Tehsil & District Kasganj under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended was online refused vide letter Ref no.-

170660/UPPCB/Aligarh(UPPPCBRO)/CTE/MANYYAVAR KANSHI RAM NAGAR/2022 dt. 18.01.2023 the copy of the same is annexed as annexure A/12 (Page no. 67) to the Appeal.

7. That as on date no CTE application under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended is pending in online portal of UPPCB.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true to my personal knowledge on the basis of the concerned documents. No part of this is false and nothing material has been concealed.

VERIFIED ON THIS THE ..18.. DAY OF OCTOBER, 2023, AT ..Aligarh

Deponent

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H79794 / सी–4 / एन0ओ0सी0 (लोक सुनवाई) / 2022 दिनांक- 16-8-22

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
विनीत खण्ड–1, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय–मै0 इण्डोटेक साल्यूशन, खेरी रोड, शाप नं0–2, सेक्टर–98, फरीदाबाद (हरियाणा) द्वारा खसरा सं0–1161, ग्राम–कुमरौआ, सोरो, तहसील व जनपद–कासगंज (उ0प्र0) में कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (CBWTF) की स्थापना के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्र सं0 एच–78520 / सी–4 / एन0ओ0सी0 (लोक सुनवाई) / 2022 दिनांक 15.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा मै0 इण्डोटेक साल्यूशन, खेरी रोड, शाप नं0–2, सेक्टर–98, फरीदाबाद (हरियाणा) द्वारा खसरा सं0–1161, ग्राम–कुमरौआ, सोरों, तहसील व जनपद–कासगंज (उ0प्र0) में कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (CBWTF) की स्थापना के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की बैठक का कार्यवृत्त उपस्थित सदस्यों की सूची तथा कार्यवाही स्थल की सी0डी0 (वीडियो) फोटोग्राफ के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई थी।

कृपया अवगत कराना है कि प्रकरण पर सुश्री दीपांशी, ग्राम प्रधान, कार्यालय ग्राम पंचायत पचलाना, ब्लाक–सोरों, जनपद–कासगंज की आपत्ति सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबोधित पत्र दिनांक 05.07.2022 एवं अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संबोधित पत्र दिनांक 05.07.2022 जोकि अनु सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0– 856 / 81–7–2022, दिनांक 10.08.2022 के माध्यम से राज्य बोर्ड को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि– 1– अनु सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0–856 / 81–7–2022, दिनांक 10.08.2022 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2– सुश्री दीपांशी, ग्राम प्रधान, कार्यालय ग्राम पंचायत पचलाना, ब्लाक–सोरों, जनपद–कासगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव

ई-फैल ८२१

File No.81-7099/71/2022-07-,

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या–856 / 81–7–2022

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7 लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2022

विषय–ग्राम पंचायत पचलाना, जनपद कासगंज में स्थित मै0 इण्डोटेक सोल्यूशन को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान न किये जाने तथा विभाग से जारी एनओसी को निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमती दीपान्शी, ग्राम प्रधान, कार्यालय ग्राम पंचायत पचलाना, जनपद कासगंज के पत्र दिनांक 05.07.2022 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by ओम प्रकाश
Date: 10-08-2022 17:18:31
Reason: Approved

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ को श्रीमती दीपान्शी, ग्राम प्रधान, कार्यालय ग्राम पंचायत पचलाना, जनपद कासगंज के पत्र दिनांक 05.07.2022 सहित उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

AEE/CCT
11.8.22

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव।

कार्यालय ग्राम पंचायत पचलाना

ब्लॉक सोरों, जनपद – कासगंज

प्रेषक –
दीपान्शी
(प्रधान)

पत्र व्यवहार का पता –
निवास – ग्राम पचलाना पो0 कुमरऊआ
ब्लॉक सोरों, जनपद – कासगंज
मो0 9012647496, 7409665925

दिनांक.......05.07.2022...

पत्रांक.................

सेवा में,

श्रीमान् अपर मुख्य सचिव
वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

561/Desf/22
सचिव (म0)

विषय: सीबीडब्लूटीएफ को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने के विरोध में।

MS

महोदय,

सौंरों तहसील के गांव कुमरौआ में खसरा सं0 1161 में एक सीबीडब्लूटीएफ लगाया जाना प्रस्तावित है जिसकी जन सुनवाई 6.6.2022 को कलक्ट्रेट सभागार, कासगंज में हो चुकी है।

मैन पचलाना ग्राम पंचायत, सौंरों की वर्तमान में प्रधान हूं। मैं भी गांव के निवासियों के साथ इस लोक सुनवाई में गई थी इस प्लान्ट के लगाये जाने का आसपास के गांव में बहुत विरोध है, महोदय सौंरों (कासगंज) एक धार्मिक नगरी है एवं छोटा कस्बा है जहां पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातनी हिन्दु गंगा स्नान आदि से जुड़े हुये हैं, यहां पर कोई बहुत ज्यादा अस्पताल भी नहीं है फिर भी अस्पताल के कचरे को जलाने का प्लान्ट यहीं लगाया जा रहा है इसका मतलब आसपास के जिलों से अस्पताल का कचरा इकट्ठा किया जायेगा तथा उसको यहां लाकर जलाया जायेगा यानि की आसपास की बीमारियों का केन्द्र सौंरों को बनाने की तैयारी चल रही है, हमें ज्ञात हुआ है कि इस कचरे को जलाने के दौरान निकलने वाले धूंये से सांस संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं तथा भूगर्भ जल भी दूषित होता है। इस प्लान्ट को लगाने में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की सांठगांठ व मिलीभगत है।

जन सुनवाई के दौरान हमारे द्वारा पुरजोर विरोध जिलाधिकारी के सामने दर्ज कराया गया किन्तु हमको सन्देह है कि कम्पनी अपने धन बल व बाहुबल के सहारे सबको मैनेज कर लेगी, अतः आपसे अनुरोध है कि मै0 इण्डोटेंक सोल्यूशन को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान न की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि इनको आपके विभाग से जारी एनओसी को निरस्त किया जाये।

धन्यवाद,

12-07-22
(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

4107/SE/22
US(OP)

13-7-22
(आशीष तिवारी)
सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

दीपांशी
दीपान्शी, ग्राम प्रधान
कार्यालय ग्राम पंचायत पचलाना
जनपद कासगंज

SO-7

[illegible] 7.22
(ओम प्रकाश)
अनु सचिव
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0प्र0 शासन।

श्रीमती [illegible]
14/7/22